

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2020—आश्विन 30, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. 84 (03) —वि.निर्वा.—चार—2020—110.— भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :-

1. क्रमांक 434—म.प्र.—वि.स.—2020, दिनांक 21 अक्टूबर 2020
2. क्रमांक 434—म.प्र.—वि.स.—2020 (1), दिनांक 21 अक्टूबर 2020

अरुण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2020-29 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या: 434-म.प्र.-वि.स.-2020.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2018, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
5-सुमावली	अपर कलेक्टर, मुरैना

आदेश से,
हस्ता./
(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 21st October, 2020 – 29 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2020.- In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, makes the following amendment in its Notification No. 434-MP-LA-2018, dated 20th September, 2018, as amended from time to time, relating to appointment of Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh namely :-

In column (02) of the Table appended to the said Notification, the existing entry against the Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the following entry:-

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
5-Sumawali	Additional Collector, Morena

By order,
Sd./-
(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2020-29 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या: 434-म.प्र.-वि.स.-2020(1).- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2018(1), दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
19-डबरा (अ.जा.)	तहसीलदार, चीनौर
23-करेरा (अ.जा.)	तहसीलदार, नरवर

आदेश से,
हस्ता./
(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 21st October, 2020 – 29 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2020 (1).- In pursuance of the provisions of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, makes the following amendment in its Notification No. 434-MP-LA-2018 (1), dated 20th September, 2018, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh namely :-

In colum (02) of the Table appended to the said Notification, the existing entry against the Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the following entry:-

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
19-Dabra (SC)	Tahsildar, Chinor
23-Karera (SC)	Tahsildar, Narwar

By order,
Sd./-
(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.